Vivek K. Tankha
Member of Parliament, Rajya Sabha (M.P.)
Senior Advocate
Member, Parliamentary Standing Committee On Personnel, Public Grievances, Law and Justice
Member, Hindi Advisory Committee, Ministry of Home Affairs
Member, Standing Finance Committee, AIIMS, Bhopal

सत्यमेव जयते

10 मई 2021
(जबलपुर)

पत्र क्रमांक- 084-086/VV/2021

**ई मेल द्वारा**

श्री शिवराज जी,

देश में आयी कोरोना वायरस की दूसरी लहर इतनी खरतनाक होगी इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। संक्रमण के नए मामले हों या फिर मौत के आकंड़े, दोनों ही रूकने का नाम नहीं ले रहे है। हमारे सीमित स्वास्थ्य संसाधनों के साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह चरमरा रही हैं और आज शासकीय और निजी दोनों ही अस्पतालों में जनता आइवरमेक्टिन और डोक्सी जैसी दवाओं से लेकर ऑक्सीजन तक के लिए तरस रही है| मुझे पता है कि आपके कार्यालय के अधीन सभी आला अफसरों के साथ पूरा प्रशासनिक अमला हर संभव स्तर पर इस संक्रमण पर काबू पाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है|

इस संक्रमण से मुक्ति के लिए एक दवा ऐसी भी है जिसे लेकर मारामारी से लेकर कालाबाज़ारी तक हो रही है और वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन। देश में इस दवा की जरूरत समझते हुए केंद्र ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और अस्पतालों को कोविड-19 संक्रमण के गंभीर मामलों में पीड़ितों को इसे देने का निर्देश दिया है| इसकी सीमित उपलब्धता को देखते हुए यद्यपि प्रदेश शासन ने इसके वितरण का सम्पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में लिया हुआ है और जिला कलेक्टर के माध्यम से ही इसे सीधे जिला अस्पतालों में भेजा जा रहा है|

प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ने के साथ रेमडेसिविर एंटीवायरल दवा की मांग भी अधिक हो जाने के कारण इसका फायदा उठाकर कई मुनाफाखोर कई जगहों पर इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। आज प्रदेश के लगभग सभी जिलो में इसकी कालाबाजारी चरम पर है और एक इंजेक्शन के लिए 45 से 50 हजार तक कीमत वसूली जा रही है|

इस गंभीर विषय पर मेरा आपसे आग्रह है कि इसकी सीमित उपलब्धता के बावजूद प्रदेश में इसकी भरपूर सप्लाई कैसे जारी है इसका खुलासा हो| आज मैं और प्रदेश की जनता प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय से जानना चाहते है कि-

**Delhi Ch :** 404, Silver Arch', 22-Feroz Shah Road, New Delhi-110001, Ph:- +91-11-41007005, Telefax: 43717005
**Delhi Res:** 37-Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057, Ph +91-11-41661662, 26152424, 41057529
**Jabalpur Office:-** 'Raj Krishna Smriti' 842- North Civil Lines, Jabalpur-482001 (M.P.) Ph:- +91-761-2622853, 2623860
**Email:** vivek.tankha@gmail.com, vivektankha.mp@sansad.nic.in

(1) जब प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, रीवा और अन्य जिलों में राज्य शासन द्वारा नियंत्रित स्तर पर 100, 200 से लेकर 500 की संख्या में रेमडेसिविर एंटीवायरल उपलब्ध कराये जा रहे थे तो इन जिलों के शासकीय एवं निजी अस्पतालों में ये हजारों की संख्या में कैसे पहुँच रहे थे| इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि इस इंजेक्शन की प्रदेश में उपलब्धता की जिम्मेदारी किस कंपनी के पास थी, क्योंकि जिलो को आवंटित इंजेक्शन में और मरीजो को लगाये गए इंजेक्शन की संख्या में काफी अंतर है - जहाँ एक अस्पताल को औसतन 100-200 इंजेक्शन दिए जा रहे थे वहीं अस्पताल के द्वारा 300-500 की संख्या में ये इंजेक्शन मरीजों पर लगाये गए| इस बात की पूरी आशंका है कि नकली इंजेक्शन की प्रदेश में सप्लाई गुजरात स्थित नकली कंपनी से हुयी थी|

(2) यह एक गंभीर जांच का विषय है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को कौन सा इंजेक्शन लगाया गया - असकी या नकली| नकली इंजेक्शन से होने वाली मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा|

(3) संक्रमित मरीजों के साथ उनके परिवारों को भी यह जानने का हक़ है कि इस विश्वस्तरीय आपदा के कठिन वक्त में वे कौन दोषी हैं जिन्होंने इसे कमाई का अवसर बनाया| उनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों ही धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही होनी चाहिए|

(4) यह कृत्य मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय को पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आकर प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए|

(5) आज रेमडेसिविर एंटीवायरल दवा की नकली खरीदी के तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, गुजरात और कई अन्य राज्यों से जुड़े हुए है और कई प्रदेशों में इस पर FIR भी हुयी है| अतः इस बहुराज्यीय मामले की जांच किसी निष्पक्ष केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप देना उचित होगा| इस जांच का आदेश या तो प्रदेश सरकार दे सकती है अथवा उच्च न्यायालय| केंद्र राज्य शासन की सहमति के पश्चात ही इस पर कार्यवाही कर सकता है|

आज जब कोरोना की तीसरी लहर आने की सम्भावना है तो ऐसे मुश्किल समय में प्रशासन की जवाबदारी और भी बढ़ जाती है| यह कहना मुश्किल है कि कोरोना के बाद हम कहाँ होंगे लेकिन हमें दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ हर स्तर पर इसे हराना है|

इसी आशा के साथ

आपका

**(विवेक के तन्खा)**

**श्री शिवराज सिंह चौहान जी**
माननीय मुख्यमंत्री- मध्य प्रदेश
मंत्रालय वल्लभ भवन
भोपाल (मध्य प्रदेश)

**प्रतिलिपि**

(1) **डॉ. प्रभुराम चौधरी जी**, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मध्य प्रदेश- सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु|
(2) **श्री इक़बाल सिंह बैंस**, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन- सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु|
(3) **श्री विवेक जोहरी**, आईपीएस, पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश- सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु|
(4) **मोहम्मद सुलेमान,** अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश- सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु|

**(विवेक के तन्खा)**